

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर  
क्रमांक एफ 11(73अ)एफसीए/मुवसअ/2017/

8399

दिनांक 23-12-2019

निमित्त:-

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0027 Hectare Forest Land in favour of Airport  
Authroty of India Kishangarh, Ajmer for Construction of  
Communication post for Airport Kishangarh District Ajmer Rajasthan.

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14(109/11)2017/एफसीए/प्रमुवसं/3747 दिनांक  
24.9.1019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा  
जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट में  
संशोधन कराकर उप वन संरक्षक अजमेर ने अपने पत्रांक 11060 दिनांक 12.12.2019 द्वारा मूल इस  
कार्यालय को भिजवाया गया है।

अतः संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की एक मूल एवं एक छायाप्रति संलग्न कर  
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आर.के.जैन)

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर।

क्रमांक एफ 11(73अ)एफसीए/मुवसअ/2017/ 8400

दिनांक 23-12-2019

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक अजमेर को उनके पत्रांक 11060 दिनांक 12.12.2019 के क्रम में  
सूचनार्थ प्रेषित है

(आर.के.जैन)

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर।